न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांगरोल, जिला बारां (राज०)

बद्रजलारा अंजना राहरावत (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या :— 41/2025/दावा/बउनवान/नाथू बनाम श्रवण

जीसीएमएस संख्या:— 2025/129

1. नाथू पुत्र मूल्या
2. हरीश पुत्र नाथू
3. विनोद पुत्र नाथू
4. राजेश पुत्र नाथू

जातियान खाती निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.......वादीगण

बनाम

1. श्रवण
2. प्रेमचन्द
3. चेतन
4. हेमराज

पुत्रान मथुरालाल जातियान नाई निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

5. मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी रामनारायण जाति नाई निवासी खेडी जागीर तहसील मांगरोल बारां (राज0)
6. जमनालाल पुत्र काल्या जाति नाई (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि

6/1 गायत्रीबाई पुत्री
6/2 फूलाबाई पुत्री
6/3 मन्जूबाई पुत्री
6/4 सन्तोष पुत्री
6/5 सत्यनारायण पुत्र

जमनालाल जाति नाई निवासीगण ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

..........प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी.एक्ट

कोर्ट कैंप बोहत

वकील वादी : श्री हरीश राजावत
वकील प्रतिवादी क्रम 3 : श्री लिहाज हुसैन

दायरा दिनांक 16.09.2018 **निर्णय दिनांक 15.04.2025**

निर्णय

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :—

1. यह कि वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खाते की आराजी खसरा नं0. 2660 रकबा 0.02 है0, एवं खसरा नं0. 2661 रकबा 1.34 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.36 है0, वाके माल बोहत तहसील मांगरोल में स्थित है जिस भूमि की किस्म गैर मुमकिन चाह नहरी प्रथम दर्ज है।
2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति एवं मौखिक बंटवारे के आधार पर अपने—अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर काश्त कर रहे हैं, लेकिन उक्त आराजी का कानूनन बंटवारा नहीं हुआ है।

3. यह कि प्रतिवादी नं0. 1 ता 5 के पिता का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन विरासत का इंतकाल प्रतिवादी नं0. 1 ता 5 का दर्ज नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी नं0. 1 ता 5 के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है।
4. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नहीं होने की वजह से वादीगण को अपनी भूमि को काश्त करने में परेशानी होती है और समय–समय पर राजस्व कर जमा कराने में परेशानी होती है। इस प्रकार वादीगण को अपनी आराजी का हिस्से अलग खाते दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है।
5. यह कि प्रतिवादीगण से वादीगण ने अपना–अपना हिस्से अलग खते दर्ज कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया इस प्रकार यह वादपत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
6. यह कि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का हिस्सा 1/2 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/2 दर्ज है तथा इसके मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से की आराजी को काश्त कर है, लेकिन शामलाती खते में नाम होने की वजह से प्रतिवादीगण, वादीगण के हिस्से की आराजी पर दखलअंदाजी करते रहते हैं, इसीलिये वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना आवश्यक हो गया है।
7. यह कि राज्य सरकार सर्वोच्च भू–स्वामी होने से तहसीलदार मांगरोल को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, जिनके खिलाफ कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।
8. यह कि इस सम्माननीय न्यायालय को वादपत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है।
9. यह कि वाद कारण अप्रैल 2008 में उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण से आराजी का बंटवारा कराकर अलग–अलग खाते दर्ज करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण ने मना कर दिया।
10. यह कि वाद का मूल्यांकन लगान का 50 गुना किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर विदन है कि एक डिक्री वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्व इस आशय की प्रसारित की जावे कि वादीगण का हिस्सा 1/2 वादपत्र की मद नं0. 1 में वर्णित आराजी में अलग खाते दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें, ऐसा कार्य स्वयं भी नहीं करें और न ही अपने प्रतिनिधि से करावें तथा वादीगण को शांतिपूर्ण तरीके से काश्त करने देवें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर जरिये सम्मन प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी क्रम 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया जिसमें वाद पत्र की मद नं. 1 ता 4 स्वीकार, 5 व 9 अस्वीकार, 6 आंशिक स्वीकार तथा शेष मद कानूनी होना बताया एवं विशेष कथन किया कि वाद प्रार्थना वादी स्वीकार है व प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का नाम राजस्व रिकार्ड में अमल करते हुये प्रतिवादी क्रम 1 ता 5 का हिस्सा 1/4 अर्थात 0.34 है0 अलग खाते दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें। शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

सम्पूर्ण पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, वकील पक्षकारान की बहस के आधार पर प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2018 को जारी की गई एवं तहसीलदार मांगरोल को बंटवारा प्रस्ताव पेश करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार निर्णय सरे इजलास सुनाया जाकर अन्तिम डिक्री दिनांक 25.06.2018 को जारी की गई।

अपीलांट सत्यनारायण सोन द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 25.06.2018 के विरुद्ध माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के समक्ष अपील करने पर माननीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा इस न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2018 तथा फाइनल डिक्री दिनांक 25.06.2018 अपास्त कर प्रकरण इस दिशानिर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि मृतक जमनालाल के विधिक वारिसानों को रिकार्ड पर लिया जाकर तथा वारिसानों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सी.पी.सी. स्वीकार कर प्रदिवादी क्रम 6 के कायममुकामान रिकार्ड पर लिये गये।

पत्रावली कोर्ट कैम्प बोहत में दिनांक 15.04.2025 को पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित आये। पटवारी, पटवार मण्डल बोहत द्वारा कोर्ट कैम्प में मौका/तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की, जिसका विवरण निम्नानुसार है:–

ग्राम बोहत के आराजी खसरा नं0. 3434/2661 रकबा 0.68 भूमि कलाबाई पुत्री जमनालाल हि0. 1/10, कलावती बाई पुत्री मथुरालाल हि0. 1/14, गायत्रीबाई पुत्री जमनालाल हि0. 1/10, गायत्री बाई पुत्री मथुरालाल हि0. 1/14 चेतनप्रकाश पुत्र मथुरालाल हि0. 1/14 प्रेमचन्द पुत्र मथुरालाल हि0. 1/14 मंजूबाई पुत्री जमनालाल हि0. 1/14 मंजू बाई पुत्री मथुरालाल हि0. 1/10, श्रवणलाल पुत्र मथुरालाल हि0. 1/14, सत्यनारायण पुत्र जमनालाल हि0. 1/10, संतोषबाई पुत्री जमनालाल हि0. 1/10, हेमराज पुत्र मथुरालाल जाति हि0. 1/14 जाति नाई सा. देह दर्ज है। उक्त प्रकरण खातेदारान के नाम में संशोधन से संबंधित है। उक्त खातेदारान के नाम नामान्तरण नं0. 2405 दिनांक 30.03.2021 न्यायालय आदेश से विभाजन नवीन खाता दर्ज करते समय मूल खाते में शेष खातेदारान के नाम गलत दर्ज हो गये।

इसके उपरान्त न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी, कोटा की अपील सं0. 2022/127, 2022/128 के निर्णय दिनांक 17.10.2024 से श्रीमान के न्यायालय की अन्तिम डिग्री 26.06.2018 को अपास्त कर दिया गया। उक्त अंतिम डिक्री दिनांक 26.06.2018 की पालना में ही नामा.नं. 2405 दर्ज हुआ था। अतः उक्त डिग्री अपास्त होने से खाता पूर्व स्थिति अनुसार निम्न प्रकार दर्ज किया जाना उचित होगा

खातेदार हेमराज, चेतन, प्रेमचन्द, श्रवणलाल पुत्रान, मथुरालाल, मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल हि0. 1/4 बराबर, सत्यनारायण पुत्र जमनालाल (रहन– BRKGB बोहत हि0. 1/4) हि0. 1/4, जाति नाई सा. देह विनोद, हरीश पुत्रान नाथू हि0. 1/2 बराबर

(रहन– केनरा बैंक बारां हि0. 1/4 हरीश पुत्र नाथू) जाति खाती सा. देह खसरा नं0. 266.0/ 0.02, 3433/2661 रकबा 0.66, 3434/2661 रकबा 0.68 किता 3/136 खाता दर्ज किया जाना उचित होगा।

नामा. नं0. 2405 अपास्त होने से खाता पूर्व स्थिति अनुसार दर्ज करने पर वर्तमान खाते में दर्ज गलत नाम की स्थितियाँ दुरस्त हो जायेगी तथा नामा नं0. 2405 से दर्ज हुआ नवीन खाता भी पूर्व स्थिति अनुसार शामलाती खाते की स्थिति में दर्ज हो जायेगा। रिपोर्ट श्रीमान को आवश्यक कार्यवाही हेतु पेश है।

चूंकि प्रार्थीगण प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.04.2018 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 25.06.2018 के अनुसार किए गए बंटवारे पर सहमत हैं। अतः बंटवारा यथावत् रखते हुए शेष खातों की स्थिति पेश करने हेतु निर्देशित किया गया।

उक्त निर्देशानुसार पटवारी पटवार मण्डल बोहत द्वारा निम्न रिपोर्ट पेश की:–

ग्राम बोहत में विनोद, हरीश पुत्र नाथू जाति खाती सा. देह रहन केनरा बैंक बारां हि0 हरीश का खाता सं0. 941 खसरा नं0. 2600/0.02, 3433/2661/0.66 किता 2/0.68 दर्ज है। उक्त खाते की स्थिति सत्यनारायण पुत्र जमनालाल हिस्सा 1/2 रहन BRRCB बोहत प्रेमचंद, चेतनप्रकाश, हेमराज, श्रवणलाल पुत्र मथुरालाल मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल हिस्सा 1/2 जाति नाई दर्ज किया जाना उचित होगा।

सम्पूर्ण पत्रावली मय संलग्न दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन अध्ययन किया गया। पक्षकारान की बंटवारे पर सहमति एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र स्वीकार कर ग्राम बोहत में खाता सं. 941 खसरा सं. 2660 रकबा 0.02 है0 एवं 3433/2661 रकबा 0.66 है0 कुल किता 2 रकबा 0.68 है. विनोद, हरीश पुत्र नाथू जाति माली सा. देह एवं ग्राम बोहत के एवं नया खाता सं. 851 खसरा सं. 3434/2661 रकबा 0.68 है0 में सत्यनारायण पुत्र जमनालाल हि. 1/2 एवं प्रेमचंद, चेतनप्रकाश, हेमराज, श्रवणलाल पुत्रान मथुरालाल तथा मोहिनीबाई पुत्री मथुरालाल हि. 1/2 हिस्सा बराबर दर्ज किया जाना एवं जमाबंदी ग्राम बोहत खाता सं. नया 851 पुराना 827 में से कलावती जिसका सही नाम फूलाबाई पुत्री जमनालाल है एवं मंजूबाई, गायत्री बाई, संतोष बाई पुत्रियां जमनालाल द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में हकत्याग करने के कारण खाते से नाम डिलीट किया जाना तथा कलावती पुत्री मथुरालाल, गायत्री पुत्री मथुरालाल, मंजू बाई पुत्री मथुरालाल का नाम इनके अस्तित्व में नहीं होने से खाते से इनका नाम डिलीट किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं पक्षकारान की बंटवारे पर सहमति एवं पटवारी रिपोर्ट के आधार पर वादपत्र स्वीकार कर तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम बोहत में खाता सं. 941 खसरा सं. 2660 रकबा 0.02 है0 एवं 3433/2661 रकबा 0.66 है0 कुल किता 2 रकबा 0.68 है0, विनोद, हरीश पुत्र नाथू जाति माली सा. देह एवं ग्राम बोहत के तथा खाता सं. 851 खसरा सं. 3434/2661 रकबा 0.68 है0 में सत्यनारायण पुत्र जमनालाल हि. 1/2 एवं प्रेमचंद, चेतनप्रकाश, हेमराज, श्रवणलाल पुत्रान मथुरालाल तथा मोहिनीबाई पुत्री मथुरालाल हि. 1/2 हिस्सा बराबर दर्ज किया जावे। जमाबंदी ग्राम बोहत खाता सं. नया 851 पुराना 827 में से कलावती जिसका सही नाम फूलाबाई पुत्री जमनालाल है एवं मंजूबाई, गायत्री बाई, संतोष बाई पुत्रियां जमनालाल द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में

हकत्याग करने के कारण खाते से नाम डिलीट किया जावे तथा कलावती पुत्री मथुरालाल, गायत्री पुत्री मथुरालाल, मंजू बाई पुत्री मथुरालाल का नाम इनके अस्तित्व में नहीं होने से खाते से इनका नाम डिलीट किया जावे। तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। उक्त आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को कोर्ट कैम्प बोहत में मजमेआम सुनाया गया।

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix "D"- 1)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट मांगरोल मुकाम मांगरोल

न्यायालय बइजलास अजंना सहरावत R.A.S उपखण्ड अधिकारी मांगरोल जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या :– 41/2025 /दावा/बउनवान/नाथू बनाम श्रवण

जीसीएमएस संख्याः– 2025/129

निर्णय दिनांक :– 15.04.2025

बउनवानः–

1. नाथू पुत्र मूल्या
2. हरीश पुत्र नाथू
3. विनोद पुत्र नाथू
4. राजेश पुत्र नाथू

} जातियान खाती निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....वादीगण

बनाम

1. श्रवण
2. प्रेमचन्द
3. चेतन
4. हेमराज

} पुत्रान मथुरालाल जातियान नाई निवासीगण बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

5. मोहनी बाई पुत्री मथुरालाल पत्नी रामनारायण जाति नाई निवासी खेडी जागीर तहसील मांगरोल बारां (राज0)
6. जमनालाल पुत्र काल्या जाति नाई (मृतक) जरिये विधिक प्रतिनिधि

6/1 गायत्रीबाई पुत्री
6/2 फूलाबाई पुत्री
6/3 मन्जूबाई पुत्री
6/4 सन्तोष पुत्री
6/5 सत्यनारायण पुत्र

} जमनालाल जाति नाई निवासीगण ग्राम बोहत तहसील मांगरोल जिला बारां (राज0)

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां (राज0)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी.एक्ट

कोर्ट कैम्प बोहत

वकील वादी : श्री हरिश राजावत

वकील प्रतिवादी कम 3 : श्री लिहाज हुसैन

कोर्ट कैम्प बोहत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.04.2025 को अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते बंटवारा एवं घोषणा पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री जारी की जाती है वाके ग्राम बोहत में खाता सं. 941 खसरा सं. 2660 रकबा 0.02 है0 एवं 3433/2661 रकबा 0.66 है0 कुल किता 2 रकबा 0.68 है. विनोद, हरीश पुत्र नाथू जाति माली सा. देह एवं ग्राम बोहत के नया खाता सं. 851 खसरा सं. 3434/2661 रकबा 0.68 है0 में सत्यनारायण पुत्र जमनालाल हि. 1/2 एवं प्रेमचंद, चेतनप्रकाश, हेमराज, श्रवणलाल पुत्रान मथुरालाल तथा मोहिनीबाई पुत्री मथुरालाल हि. 1/2 हिस्सा बराबर दर्ज किया जावें। जमाबंदी ग्राम बोहत खाता सं. नया 851 पुरना 827 में से कलावती जिसका सही नाम फूलाबाई पुत्री जमनालाल है एवं मंजूबाई, गायत्री बाई, संतोष बाई पुत्रियां जमनालाल द्वारा अपने भाईयों के पक्ष में हकत्याग करने के कारण खाते से नाम डिलीट किया जावे तथा कलावती पुत्री मथुरालाल, गायत्री पुत्री मथुरालाल, मंजू बाई पुत्री मथुरालाल का नाम इनके अस्तित्व में नहीं होने से खाते से इनका

नाम डिलीट किया जावे। तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते हैं कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आदेश आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिये गये।

अंजना राहरावत (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
मांगरोल

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्पअर्जीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील			महनताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुकमनामा			बबत इजराय हुकमनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।